

मेरठ छावनी परिषद
सार्वजनिक सूचना


(छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 99 (1) के अर्न्तगत देय करों के लिये सार्वजनिक सूचना)

मेरठ छावनी परिषद के गृहकर/जलकर दाताओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 का, गृहकर/जलकर दिनांक 01.04.2021 से देय है जिसके लिये सभी सम्पत्तियों के बिल सम्पत्ति धारकों को जारी कर वितरित कर दिये गये हैं। सभी गृहकर/जलकर दाता बिल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर इसका भुगतान करना सुनिश्चित करें।

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बिल प्राप्त नहीं होता है तो इसको बिल भुगतान से वंचित रहने का कारण नहीं माना जायेगा।

गृहकर/जलकर के भुगतान हेतु छावनी परिषद मेरठ की वैबसाईट www.meerut.cantt.gov.in पर भी सम्पर्क किया जाता सकता है।

हेल्प लाईन नम्बर – 0121 2652292



मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, मेरठ

संख्या 236/टी/
कार्यालय छावनी परिषद
मेरठ दिनांक 10 सितम्बर 2021.